बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

द्वितीय तल, पंत भवन, बेली रोड, पटना - 800 001

व्यास जी, भा.प्र.से. (से.नि.)
उपाध्यक्ष

का० : 0612-2522032 बिहार सरकार
फैक्स : 0612-2532311
इ-मेल : vice_chairman@bsdma.org

अ0स0पत्रांक– 105 / प्राधि०

दिनांक 17-01-2017

विषयः–दिनांक 14 जनवरी, 2017 को पटना जिला में गंगा नदी में हुई नाव दुर्घटना के परिपेक्ष्य में भविष्य में नाव दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए जरूरी सलाह ।

प्रिय श्री

दिनांक 14 जनवरी, 2017 को मकर संक्रांति के पावन अवसर पर पटना जिले में गंगा नदी में दुर्भाग्यपूर्ण नाव दुर्घटना हुई है । इस दुर्घटना में बच्चों, महिलाओं सहित कुल 24 व्यक्तियों की मृत्यु की सूचना है । हालाँकि इस दुर्घटना के कारणों की पड़ताल हो रही है, परन्तु प्रथम दृष्टया इस दुर्घटना से हमें कुछ सबक मिलता है । पहला सबक यह है कि आदर्श नौका संचालन नियमावली, 2011 के प्रावधानों के अनुसार सभी नावों का निबंधन अभियान चलाकर सुनिश्चित कर लेना चाहिए । साथ ही जिला स्तर पर ऐसा तंत्र विकसित करना चाहिए जिसमें जिला प्रशासन, जिला पुलिस प्रशासन एवं परिवहन विभाग के पदाधिकारी हों, जो यह सुनिश्चित करें कि सभी नावों में उक्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार सुरक्षा संबंधी सभी उपकरण एवं व्यवस्थायें मौजूद हों । दूसरा सबक यह मिलता है कि नावों में ओवरलोडिंग नहीं हो, इसके लिए जन–जागरूकता के कार्यक्रम लगातार चलाने होंगे तथा उपरोक्त तंत्र के माध्यम से ओवरलोडिंग को कड़ाई से रोकना होगा ।

2. इस संबंध में प्राधिकरण की ओर से पत्रांक–1717, दिनांक 23.12.2016 द्वारा आपसे अनुरोध किया गया है कि आदर्श नौका संचालन नियमावली, 2011 के अनुसार नावों का निबंधन सुनिश्चित किया जाय । उक्त पत्र की प्रतिलिपि इसके साथ संलग्न है । इसी प्रकार प्राधिकरण के ई–मेल दिनांक 28 अक्टूबर, 2016 को जन–जागरूकता संबंधी विज्ञापन की प्रति आपको भेजते हुए अनुरोध किया गया था कि इस विज्ञापन का उपयोग जिले में भी किया जाय । उक्त विज्ञापन राज्य स्तर से कई समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया गया था । उक्त विज्ञापन की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है, जिससे ज्ञात होगा कि नाव की यात्रा करने वालों, नाव चलाने वालों तथा जिला प्रशासन को क्या करना चाहिए तथा क्या नहीं करना चाहिए ताकि नाव दुर्घटना नहीं हो ।

3. आपदा प्रबंधन का मूल मंत्र है कि जिन आपदाओं को रोका जा सकता है, उनकी रोकथाम के लिए कारगर कदम उठाया जाय ताकि वे घटित न हों । यदि किसी आपदा को रोकना कठिन हो अथवा असंभव हो, तो उसके जोखिम को कम करने तथा उससे निपटने के लिए पूरी तैयारी करनी आवश्यक होती है । जिन आपदाओं की रोकथाम की जा सकती है, उन्हें भी घटित न होने देने के लिए पूर्ण तैयारी आवश्यक शर्त है ।

इस परिपेक्ष्य में निम्न सलाह (Advisory) दी जाती है :—

(i) पिछले वर्षों के आंकड़ों एवं अनुभवों की समीक्षा कर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि आपके जिले में नाव दुर्घटना की क्या स्थिति रही है ।

(ii) यदि आपके जिले में कोई नदी अथवा झील हो, जहाँ नौकाएँ चलती हों, तो सभी नावों का निबंधन आदर्श नौका संचालन नियमावली, 2011 के प्रावधानों के अनुसार पूरी सख्ती से कराना सुनिश्चित किया जाय । साथ ही निबंधित नावों में मानक के अनुसार सुरक्षा संबंधी उपकरण उपलब्ध रहें, इसे भी कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए ।

(iii) जिन सरकारी देशी नावों का उपयोग आपदा के समय राहत एवं बचाव के कार्यों हेतु किया जाता है, उनमें भी मानक सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाए ।

(iv) जन–जागरूकता के दृष्टिकोण से संलग्न विज्ञापन का व्यापक उपयोग किया जाए। इस विज्ञापन को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से प्रकाशित/परिचारित कराया जा सकता है तथा घाटों पर यथानुसार फ्लैक्सी बोर्ड के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सकता है । नावों में ओवरलोडिंग नहीं होने करना है।

(v) जिन पंचायतों से नदियाँ गुजरती हैं, उन पंचायतों के प्रतिनिधियों एवं आम जनता को विशेष रूप से संवेदित करने की आवश्यकता होगी । साथ ही उन पंचायतों में युवकों को NDRF/SDRF के माध्यम से तैराकी का प्रशिक्षण दिया जा सकता है ।

4— मुझे आशा है कि उपरोक्त सलाह पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठकों में विचार कर आप इसे लागू करने की दिशा में आवश्यक कदम उठायेंगे । यदि इस संबंध में किसी तरह के परामर्श, मार्गदर्शन अथवा प्रशिक्षण की आवश्यकता हो तो मुझसे अथवा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के किसी भी पदाधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है ।

भवदीय

(व्यास जी)

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

ज्ञापांक – 105/प्राधि०

पटना, दिनांक– 17-01-2017

प्रतिलिपिः—सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(व्यास जी)

ज्ञापांक – 105/प्राधि०

पटना, दिनांक– 17-01-2017

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव/सचिव, परिवहन विभाग/आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आपदा प्रबंधन विभाग से अनुरोध है कि वह संलग्न विज्ञापन के प्रचार प्रसार, तैराकी प्रशिक्षण एवं जन–जागरूकता के अन्य कार्यों हेतु सभी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को आवश्यकतानुसार राशि उपलब्ध कराये ।

(व्यास जी)

ज्ञापांक – 105 / प्राधि०

पटना, दिनांक– 17-01-2017

प्रतिलिपि–मुख्य सचिव–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सूचनार्थ प्रेषित।

(व्यास जी)

ज्ञापांक – 105 / प्राधि०

पटना, दिनांक– 17-01-2017

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(व्यास जी)

ज्ञापांक – 105 / प्राधि०

पटना, दिनांक– 17-01-2017

प्रतिलिपि–माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(व्यास जी)

O/C

संचिका संख्या 10/विविध/आ0प्र0प्रा0 70/2016/1717/प्रा0प्रा0

बिहार सरकार

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(आपदा प्रबंधन विभाग)

पंत भवन, द्वितीय तल, पटना-1

प्रेषक,

यू0 के0 चौबे,
सचिव,
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।

सेवा में,

सभी जिला दण्डाधिकारी–सह–समाहर्ता,
बिहार

पटना, दिनांक–23-12-2016

विषय :– राज्य में सुरक्षित नौका परिवहन हेतु बंगाल नौ–घाट अधिनियम, 1885 के अधीन आदर्श नियमावली, 2011 के प्रावधानों को दृढ़तापूर्वक लागू किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि राज्य में नौका दुर्घटनायें आम हो गयी हैं। राज्य में परिचालित होने वाली अधिकांश नौकाएँ पारम्परिक बनावट की लकड़ी की देशी नाव होती है और अनावृत होती हैं। साथ ही अज्ञानतावश एवं अधिक लाभ अर्जित करने हेतु नाविकों द्वारा भी क्षमता से अधिक माल–वाहन/सवारी वाहन किया जाता है। इसकी वजह से जोखिम की संभावना काफी बढ़ जाती है तथा दुर्घटना की स्थिति में जान–माल की क्षति होती है। आपदा प्रबंधन के अन्तर्गत नौका परिवहन के क्रम में अपेक्षित सुरक्षा हेतु यह आवश्यक है कि नावों का भली–भाँति रख–रखाव हो और वे जीवन रक्षा के न्यूनतम सुरक्षा उपकरणों से सज्जित हों। साथ ही यह भी आवश्यक है कि उनका नियमित प्रशासनिक निरीक्षण हो, साथ ही नाविकों तथा सवारियों को नियमित अन्तराल पर जोखिम एवं उनसे बचाव के संबंध में जागरूक किया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बिहार राज्य में बंगाल नौ–घाट अधिनियम, 1885 प्रवृत् है तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत आदर्श नियमावली, 2011 लागू की गयी है। सुलभ संदर्भ हेतु उक्त नियमावली के कतिपय प्रावधान नीचे उद्धृत किये जा रहे है :–

1. नावों का निबंधन एवं परमिट :– बंगाल फेरी अधिनियम, 1885 के अन्तर्गत गठित उपर्युक्त आदर्श नियमावली में जिला दण्डधिकारी को फेरी के निबंधन की शक्ति प्राप्त है। यंत्रचालित नाव अन्तर्देशीय पोत अधिनियम, 1917 के अधीन आते है, अतएव उक्त अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा गठित अन्तर्देशीय वाष्प पोत निबंधन नियमावली, 1951 की धारा 19 बी0 की उप धारा (1) के तहत अधिसूचना संख्या–11 दिनांक–10.02.2006 निर्गत की गई है। निबन्धन पदाधिकारी उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (1) के तहत घोषित सर्वेक्षक, मोटर यान निरीक्षक के तकनीकी निरीक्षण के उपरान्त नाव का निबंधन कर सकेंगे। यंत्रचालित नावों के निबंधन के क्रम में मोटर यान निरीक्षक तकनीकी दृष्टि से मूल्यांकन कर निर्माण की गुणवत्ता को प्रमाणित करेंगे। बंगाल फेरी अधिनियम, 1885 तथा उसके अन्तर्गत निर्मित आदर्श नियमावली में आवश्यकतानुसार फेरी की संख्या निर्धारित करने की शक्ति प्रमण्डलीय आयुक्त एवं जिला दण्डाधिकारी को पूर्व से ही प्राप्त है।

2. घाटों का निबंधन :–बंगाल फेरी एक्ट, 1885 की धारा–7 से धारा–16 तक में घाटों के स्थानों का निर्धारण, नियंत्रण, पर्यवेक्षण आदि की शक्ति जिला दण्डाधिकारियों को प्राप्त है। अतः इनकी सुरक्षा आदि की व्यवस्था पर ध्यान दिया जायेगा।

3. चालक अनुज्ञप्ति (क) :–साधारण नाव के संदर्भ में नाविक के लिए तैरने तथा नौ परिवहन (नेभीगेशन) एवं आपात स्थिति से निबटने का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होना न्यूनतम योग्यता है, जिसे समर्पित करने पर अनुज्ञप्ति पदाधिकारी द्वारा मान्यता दी जा सकती है।

(ख) यंत्र चालित नाव के संदर्भ में अन्तर्देशीय पोत अधिनियम, 1917 की धारा 23 के आलोक में राज्य सरकार मोटर यान निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन के आधार पर जिला परिवहन

इस परिपत्र पर उपाध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं परिवहन विभाग की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(यू0 के0 चौबे)

ज्ञापांक - 1717 पटना, दिनांक 23-12, सचिव

प्रतिलिपिः—सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग/परिवहन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक - 1717 पटना, दिनांक 23-12-16 सचिव

प्रतिलिपिः—मुख्य सचिव–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक - 1717 पटना, दिनांक - 23-12-16 सचिव

प्रतिलिपिः—माननीय मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक - 1717 पटना, दिनांक 23-12-16 सचिव

प्रतिलिपिः—उपाध्यक्ष के आप्त सचिव, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव

O/C